कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क्र/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/4028 भिलाई, दिनांक 27/09/2021

//आदेश//

राज्य शासन द्वारा कोविड – 19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशा – निर्देश दिये गये है :–

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड – 19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000/– रूपये निर्धारित किये है। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जायेगी।
2. निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। संबंधित परिवार विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से ही दावा प्रस्तुत करेंगे।
3. मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड लाभ अंतरण (डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रकिया के माध्यम से भुगतान किया जाना है एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
4. आवेदन पत्र नगर निगम के जोन मुख्यालय/कार्यालय में लिया जाना है। इस हेतु जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जाये ताकि आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में लगे सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर जमा कर सकें।

कलेक्टर महोदय से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 7275/रा.ले./2021 दुर्ग,दिनांक 27.09.2021 संलग्न है। उक्त ज्ञापन के दिशा – निर्देश अनुसार सभी जोन में आवेदन प्राप्त की जावे और प्रति दिवस प्राप्त आवेदन को पंजीबद्ध की जावे (प्रपत्र संलग्न है) एवं गुगलशीट पर दर्ज कराया जावे। गूगलशीट का लिंक पृथक से प्रेषित किया जायेगा। उक्त कार्य के समन्वय हेतु **श्री सुनील अग्रहरि, उपायुक्त**, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जोन आयुक्त इस कार्य के लिये जोनस्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें। मुख्य कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जता है। कंट्रोल रूम का नं. 0788–2296212 है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/4029 भिलाई, दिनांक 27/09/2021

प्रतिलिपि:–

1. कलेक्टर सह प्रशासक महो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त, जोन– 1,2,3,4,5 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई